



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट थाना चांदपुर

दिनांक 19.09.2026

**थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चांदपुर से मु0अ0स0 400/24 धारा
352/351(3)/318(4)/338/336(3)/340 (2)/ बीएनएस में 01 अभि0 को गिरफ्तार किया ।**

कार्यवाही -

दिनांक 10.08.2024 को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना चांदपुर पर वादी धर्मवीर सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम स्याऊ, थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर की तहरीर/प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें विपक्षीगण विजयबीर बहादुर सिंह, कृष्ण बहादुर सिंह एवं अल्का राजपूत के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि विपक्षीगण उसके घर में जबरन घुस आए तथा गाली-गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए और पूर्व से विचाराधीन मुकदमे को वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई।



वादी द्वारा विपक्षीगण पर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप भी लगाए गए तथा कृष्ण बहादुर सिंह की हाईस्कूल परीक्षा से संबंधित अभिलेखों में नाम, पिता के नाम एवं जन्मतिथि में भिन्नता होने का उल्लेख किया गया।

उक्त संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 400/24 धारा 352/351(3)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

आज दिनांक 19.09.26 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विजयबीर बहादुर सिंह पुत्र श्री रिषीपाल सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तारी किया गया। उक्त प्रकरण में वारन्ट एवं 84/85 बीएनएसएस की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है तथा अभि0 के द्वारा कूटरचना कर 02 स्कूलों से हाईस्कूल की मार्कशीट व फर्जी टी0सी0 को अभियोग में सम्मिलित किया जा चुका है।

नाम पता अभियुक्त -

विजयबीर बहादुर सिंह पुत्र श्री रिषीपाल सिंह निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभि0 गणों का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 336/19 धारा 120-B, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना चांदपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 492/15 धारा 120-B, 420, 467, 468, 471 भादवि0 थाना चांदपुर
3. मु0अ0सं0 525/15 धारा 420/406 भादवि0 थाना चांदपुर
4. मु0अ0सं0 526/15 धारा 420/406/504/506 भादवि0 थाना चांदपुर
5. मु0अ0सं0 540/26 धारा 351(2) बीएनएस थाना चांदपुर
6. मु0अ0सं0 400/24 धारा 352/351(3)/318(4)/338/336(3)/340(2)/ बीएनएस थाना चांदपुर

गिरफ्तार करने वाली थाना चांदपुर पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राहुल सिंह
2. का0 1813 आदित्य मलिक
3. रि0का0 2792 शनि कर्णवाल



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा

दिनांक 19.09.2026

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 368/2026 धारा 3(5),105 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.09.2026 को वादी श्री सोनू उर्फ कुलदीप कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम लम्बिया थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि वादी के पिता घर से किसी काम से बाहर गये थे तो ग्राम हल्दुआ माफी रोड पर वादी के पिता के साथ अभियुक्तगण 1.अक्की पुत्र सुभाष कुमार 2. प्रशान्त पुत्र हरपाल सिंह निवासीगण ग्राम पट्टी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा एक राय होकर मारपीट की गई जिसमे वादी के पिता को मारपीट के दौरान आयी चोटों के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी ।



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0-368/2026 धारा 3(5),105 बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभि0गण 1.निककी उर्फ अक्की पुत्र सुभाष कुमार उम्र करीब 23 वर्ष 2. प्रशान्त पुत्र हरपाल सिंह उम्र करीब 31 वर्ष निवासीगण ग्राम पट्टी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मस्कन से गिरफ्तार किये गये । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों को समय से मा0 न्याय0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा विवेचना प्रचलित है ।

कार्यवाही-

आज दिनांक 19.09.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 368/2026 धारा 3(5),105 बीएनएस के वांछित अभियुक्तगण 1.निककी उर्फ अक्की पुत्र सुभाष कुमार 2. प्रशान्त पुत्र हरपाल सिंह निवासीगण ग्राम पट्टी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1.निककी उर्फ अक्की पुत्र सुभाष कुमार ग्राम पट्टी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. प्रशान्त पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम पट्टी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली थाना स्योहारा पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री सुरजीत सिंह
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार शर्मा
3. हे0का0 157 सरीत सिंह
4. का0 1075 अजीत कुमार
5. का0 2701 प्रदीप कुमार
6. का0 2073 सन्नी कुमार



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना किरतपुर

दिनांक- 19/09/2026

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 282/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15/09/2026 को थाना किरतपुर पर वादी श्री महफूज पुत्र बाबू खाँ निवासी मौ0 लाड़पुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा अभियुक्तगण 1.जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला जन्नत कालोनी निकट चाँदपुर की चुंगी थाना कोतवाली नगर बिजनौर 2.हिफजान पुत्र अमानउल्ला निवासी मौ0 लाड़पुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर 3.गुडडी पत्नी मूलचन्द्र निवासी लाड़पुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर 4. प्रीति पुत्री विरेन्द्र निवासी लाड़पुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर तथा 5. रामकली पत्नी विरेन्द्र निवासी मौ0 लाड़पुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के विरुद्ध षडयंत्रपूर्वक वादी को बलात्कार एवं गैंगरेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 08 लाख रुपये की मांग करने तथा 50 हजार रुपये जबरदस्ती ले लेने के संबंध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 282/26 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण 1-जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला जन्नत कालौनी निकट चाँदपुर की चुंगी थाना कोतवाली नगर बिजनौर 2- गुडडी पत्नी मूलचन्द्र निवासी लड़ापुरा थाना कोतवाली नगर जिला बिजनौर 3- प्रीति पुत्री विरेन्द्र निवासी निवासी लड़ापुरा थाना कोतवाली नगर जिला बिजनौर पूर्व से जेल में निरुद्ध है।



कार्यवाही-

आज दिनांक 19/09/2026 थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त हिफजान पुत्र अमानउल्ला निवासी मौ0 लाड़पुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

अभियोग में वांछित अभियुक्ता रामकली पत्नी विरेन्द्र निवासी मोहल्ला लाड़पुरा थाना कोतवाली शहर बिजनौर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त हिफजान पुत्र अमानउल्ला निवासी मौ0 लाड़पुरा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

पूर्व से जेल में निरुद्ध

- 1-जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा पुत्र अय्यूब निवासी मौहल्ला जन्नत कालौनी निकट चाँदपुर की चुंगी थाना कोतवाली नगर बिजनौर।
- 2- गुडडी पत्नी मूलचन्द्र निवासी लड़ापुरा थाना कोतवाली नगर जिला बिजनौर।
- 3- प्रीति पुत्री विरेन्द्र निवासी निवासी लड़ापुरा थाना कोतवाली नगर जिला **बिजनौर**।

गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तगण:-

1. रामकली पत्नी विरेन्द्र निवासी मोहल्ला लाड़पुरा थाना को0 शहर, बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.श्री पुष्पेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी किरतपुर, जनपद बिजनौर।
- 2.श्री दीपक नागर, उ0नि0 थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3-कां0 1780 सचिन पवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 4-कां0 287 चन्द्रशेखर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 19.09.2026

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा हनीट्रेप से संबंधित अभियोगों में संगठित गिरोह से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

थाना नजीबाबाद पर मौ0 आसिम पुत्र आफताब अहमद, साहिल पुत्र आसिफ, मुराद खान पुत्र अमजद खान एवं नवाब पुत्र अब्दुल वाहिद द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। प्रार्थना पत्रों में जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा, दिलशाद एवं अन्य व्यक्तियों पर आपसी षड्यंत्र कर विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध झूठे बलात्कार/गैंगरेप के मुकदमे दर्ज कराने तथा न्यायालय में वाद दायर कर मुकदमों में समझौते के नाम पर धनराशि मांगने के आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थना पत्र द्वारा आरोप लगाया गया है कि जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा एवं उसके सहयोगियों द्वारा महिलाओं के माध्यम से लोगों को झूठे बलात्कार के मुकदमों में फंसाकर धनराशि वसूलने का प्रयास किया जाता था।

प्राप्त तहरीरों के आधार पर थाना नजीबाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 454/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस, मु0अ0सं0 459/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस, मु0अ0सं0 455/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस एवं मु0अ0सं0 460/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस पंजीकृत किये गये हैं।

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा हनी ट्रेप प्रकरण से संबंधित 07 अभियुक्तगण 1. जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा, 2. अफजाल, 3. गुड्डी, 4. कुन्ती 5. प्रीति 6. मौ0 आसिफ 7. दिलशाद को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों 1. शायमा पुत्री अब्दुल करीम निवासी काशीराम कालोनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर 2. अन्तिमा पुत्री कमलेश गिरि निवासी चासरी बी 24 बाडवान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर 3. शहाना परवीन पत्नी सलीम अहमद निवासी काशीराम कालोनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर 4. सानिया पुत्री सलीम अहमद निवासी काशीराम कालीनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर को 13 फर्जी आधार कार्ड सहित गिरफ्तार किया गया तथा उपरोक्त चारों अभियोगों में धारा 338/336(3)/340(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पते -

1. शायमा पुत्री अब्दुल करीम निवासी काशीराम कालोनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
2. अन्तिमा पुत्री कमलेश गिरि निवासी चाहशीरी बी 24 बाडवान थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
3. शहाना परवीन पत्नी सलीम अहमद निवासी काशीराम कालोनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
4. सानिया पुत्री सलीम अहमद निवासी काशीराम कालीनी थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

मोडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका एवं अभियुक्तगण की सहभागिता)-

विवेचनात्मक कार्यवाही एवं संकलित साक्ष्यों से यह प्रकाश में आये है कि मुख्य अभियुक्त जुल्फिकार उर्फ बब्बू लंगड़ा एक संगठित गिरोह का संचालन करता था, जिसमें अभियुक्तगण अफजाल, गुड्डी, कुन्ती, प्रीति, मौ0 आसिफ, दिलशाद, शायमा, अन्तिमा, शहाना एवं सानिया तथा अन्य सहयोगी शामिल थे। गिरोह द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के

आपसी विवाद, पुरानी रंजिश एवं अन्य प्रकरणों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपने प्रभाव में लेकर सुनियोजित ढंग से दबाव बनाया जाता था।

विवेचना में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि संबंधित व्यक्तियों को मुकदमों में समझौता करने हेतु डरा-धमकाकर धनराशि एवं अन्य अनुचित लाभ की मांग की जाती थी। मांग पूरी न होने अथवा शर्तें स्वीकार न करने पर गिरोह से संबंधित महिलाओं एवं अन्य सहयोगियों के माध्यम से विभिन्न थानों एवं जनपदों में गंभीर प्रकृति के अभियोग पंजीकृत कराए जाते तथा विभिन्न न्यायालयों में परिवाद प्रस्तुत किए जाते थे। इनमें बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के प्रकरण होना भी प्रकाश में आया है।

अब तक की विवेचना में अभियुक्तगण एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध जनपद बिजनौर सहित विभिन्न जनपदों में अनेक अभियोग एवं परिवाद पंजीकृत होना प्रकाश में आया है। मुख्य अभियुक्त जुल्फकार उर्फ बब्बू लंगड़ा द्वारा गिरोह का संचालन एवं सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा आपसी षड्यंत्र के तहत मुकदमों एवं परिवादों के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों पर दबाव बनाकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य किए जाने के तथ्य विवेचना में प्रकाश में आए हैं।

पूछताछ का विवरण-

संयुक्त पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा बताया गया कि वे आपस में संपर्क में थीं तथा जुल्फकार उर्फ बब्बू लंगड़ा के सम्पर्क में रहकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों के विरुद्ध झूठी बलात्कार की घटनाएं दर्शाकर मुकदमे दर्ज कराने का कार्य करती थीं। अभियुक्ताओं को पहले से चिन्हित व्यक्तियों के विरुद्ध झूठी घटना का घटनाक्रम तैयार कर बताया जाता था तथा उसी के अनुसार घटनास्थल, घटना एवं आरोपों की कहानी बनाकर पुलिस को सूचना दी जाती थी। इसके बाद न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये जाते थे।

पूछताछ में बताया गया कि जुल्फकार उर्फ बब्बू लंगड़ा का कुछ व्यक्तियों से विवाद होने के कारण उन्हें झूठे बलात्कार के मुकदमे में फंसाने की योजना बनाई गयी थी। योजना के अनुसार अभियुक्ताओं को अमरोहा ले जाकर पूर्व नियोजित घटनाक्रम तैयार कराया गया तथा नवाब, आसिम एवं ओमेन्द्र के विरुद्ध झूठी बलात्कार की घटना दर्शाकर न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया। इस कार्य के एवज में अभियुक्ता शहाना को 50,000/- रुपये देना तय हुआ था तथा उक्त धनराशि शहाना को दी गयी। अभियुक्ताओं को मोबाइल फोन, कपड़े एवं खर्च हेतु रुपये उपलब्ध कराये गये।

इसी प्रकार वर्ष 2023 में अभियुक्ताओं को करीम उर्फ मुन्ना, तसलीम, सलीम एवं शिबू के विरुद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने की योजना में शामिल किया गया तथा इसके एवज में अभियुक्ता अन्तिमा को 10,000/- रुपये देने की बात कही गयी। योजना के अनुसार अभियुक्ताओं को थाना नागल क्षेत्र की नहर के पास ले जाकर पूर्व नियोजित झूठा घटनाक्रम तैयार कराया गया तथा उसी आधार पर थाना नागल पर सूचना देकर न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया गया। संयुक्त पूछताछ में अभियुक्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से झूठी घटनाएं तैयार कर व्यक्तियों को गंभीर अपराधों के मुकदमों में फंसाने तथा इसके बदले धनराशि एवं अन्य लाभ प्राप्त करने की बात प्रकाश में आयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा लिखवाये गये झूठे मुकदमों का विवरण-

1. मु0अ0सं0 398/2017 धारा 395/397 भादवि, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 262/2020 धारा 323/506/376(डी)/342 भादवि व धारा 3/4/17/18 पॉक्सो एक्ट, थाना रजबपुर, जनपद अमरोहा।

- 3.मु0अ0सं0 47/2021 धारा 323/506/376डी/342/354(बी)/504/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना रहरा, जनपद अमरोहा।
- 4.वाद संख्या 29/2021 धारा 504/354 भादवि व 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, जनपद अमरोहा।
- 5.वाद संख्या 177/2021 धारा 323/328/354क/376(डी)/395/504 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, जनपद अमरोहा।
- 6.मु0अ0सं0 12/2022 धारा 354(ए)/354(बी)/506/376(डी) भादवि व 3/4 पॉक्सो अधि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा।
- 7.मु0अ0सं0 43/2022 धारा 323/376/511/354/504/506 भादवि, थाना हीमपुर दीपा, जनपद बिजनौर।
- 8.मु0अ0सं0 111/2022 धारा 323/328/354क/376डी/395/504 भादवि व 3(1)(द)(ध) एससी/एसटी एक्ट, थाना अमरोहा देहात, जनपद अमरोहा।
- 9.मु0अ0सं0 288/2022 धारा 376(डी)/506/323 भादवि, थाना स्योहारा, जनपद बिजनौर।
- 10.वाद संख्या 58/2022 धारा 323/504/506/376(डी)/328/354बी भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, जनपद अमरोहा।
- 11.मु0अ0सं0 171/2023 धारा 376डी/352/354ख/323/506 भादवि, थाना नागल, जनपद बिजनौर।
- 12.वाद संख्या 352/2024, मा0 न्यायालय सिविल जज जूडि0, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
- 13.मु0अ0सं0 393/2025 धारा 65(1)/351(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।
- 14.वाद संख्या 738/2025 शबाना बनाम साहिल आदि, मा0 न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट, बिजनौर।
- 15.मु0अ0सं0 77/2026 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।
- 16.वाद संख्या 16/2026 धारा 70/127/351(2)/352 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, जनपद बिजनौर।
- 17.वाद संख्या 372/2015, मा0 न्यायालय सिविल जज, नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण –

13 फर्जी आधार कार्ड

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता शायमा -

- 1.मु0अ0सं0 454/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 459/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 455/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 460/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता अन्तिमा उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 454/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 459/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 455/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 460/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता शाहना उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 454/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

- 2.मु0अ0सं0 459/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 455/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 460/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्ता सानिया उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 454/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 459/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 455/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 460/2026 धारा 61(2)/308(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना नजीबाबाद पुलिस टीम



**जनपद बिजनौर
प्रेस नोट थाना चांदपुर**

दिनांक-19.09.2026

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 505/2026 धारा 318(2)/317(2) बीएनएस से वांछित अभियुक्त को ठगी के माल (आभूषण) एवं एक मो0सा0 सहित गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.08.2026 को वादी श्री ईदरीश अहमद पुत्र इरफान निवासी मौ0 फीना बस्ती सराय रफी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 25.08.2026 को दोपहर करीब 12:00 बजे वादी के घर एक अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने स्वयं को ग्राम खेड़ा अपरौला, थाना नौगावां सादात, जनपद अमरोहा निवासी तथा चांदपुर गैस एजेंसी में कार्यरत बताते हुए वादी की पुत्री को गैस सिलेंडर दिलाने की बात कही। उक्त व्यक्ति प्रार्थी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो (UP20.AE4090) लेकर उसकी पुत्री के पास पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाकर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास उसके सोने के दोनों कुंडल एवं सोने की पेंडिल छल करते हुए यह कहकर ले ली कि उक्त सामान उसके पिता को दे देगा। इसके बाद पुत्री को वहीं उतारकर मोटरसाइकिल व आभूषण लेकर फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 505/26 धारा 318(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उक्त घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश मे आये अभियुक्त रिहान उर्फ मिन्जार पुत्र अनवर निवासी ग्राम ऐचोडां कम्बोह थाना ऐंचोडा कम्बोह जनपद सम्भल व वर्तमान पता ग्राम पसौंडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद व अन्य पता संगम विहार गली नम्बर 03 थाना बुराड़ी दिल्ली को छल से लिये गए आभूषण (पीली धातु के- 01 जोड़ी कानो की बाली, 01 जोड़ी कुण्डल व 01 गले का पेंडिल), एवं एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो0 लाल काला रंग न0 UP20AE4090 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का विवरण -

रिहान उर्फ मिन्जार पुत्र अनवर निवासी ग्राम ऐचोडां कम्बोह थाना ऐंचोडा कम्बोह जनपद सम्भल व वर्तमान पता ग्राम पसौंडा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद व अन्य पता संगम विहार गली नम्बर 03 थाना बुराड़ी दिल्ली

बरामद माल-

1. एक जोड़ी कानो की बाली (पीली धातु)
2. एक जोड़ी कुण्डल(पीली धातु)
3. एक गले का पेंडिल (पीली धातु)
4. एक मोटरसाइकिल पैसन प्रो0 लाल काले रंग न0 UP20AE4090

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 353/24 धारा 318(4)/316(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना कीरतपुर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 173/25 धारा 318(2)/317(2) बीएनएस थाना आदमपुर अमरोहा

3. मु0अ0स0 195/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना अतरोली अलीगढ
4. मु0अ0स0 116/25 धारा 303(2)/316(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना हरिद्वारगंज अलीगढ
5. मु0अ0स0 281/25 धारा 316(2)/317(2)/318(2) बीएनएस थाना क्वारसी अलीगढ
6. मु0अ0स0 470/24 धारा 318(4)/316(2)/317(2)/3(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर
7. मु0अ0स0 285/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना खुर्जा बु0शहर
8. मु0अ0स0 286/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना खुर्जा बु0शहर
9. मु0अ0स0 287/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना खुर्जा बु0शहर
10. मु0अ0स0 288/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना खुर्जा बु0शहर
11. मु0अ0स0 289/25 धारा 303(2)/317(2)/318(4) बीएनएस थाना खुर्जा बु0शहर
12. मु0अ0स0 02/26 धारा 303(2)/317(2)/318(2) बीएनएस थाना लोनी गा0 बाद
13. मु0अ0स0 173/25 धारा 317(2)/318(4) बीएनएस थाना आदमपुर जनपद अमरोहा
14. मु0अ0स0 06/26 धारा 317(4)/318(4) बीएनएस थाना खेखडा जनपद बागपत
15. मु0अ0स0 505/26 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रौबिन कौशिक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. है0का0 718 सचिन चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. का0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. का0 1956 आर्यन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
5. रि0का0 2992 आशीष जावला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।